प्रेस प्रकाशनी

12.03.2020

खान मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के सम्बन्ध में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सातवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य तथा कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के सभापति ने खान मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के संबंध में समिति का सातवां प्रतिवेदन 12 मार्च ,2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया ।प्रतिवेदन में निहित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत है: -

खनिजों के उत्पादन को दोगुना करने का विज़न पूरा करने के लिए अलौह धातुओं की रीसाइक्लिंग के बारे में एक नीति तैयार करने की इच्छा व्यक्त की गयी ।	समिति ने यह भी देखा है कि खनिज संसाधन कम एवं सीमित हैं और इसलिए समिति यह चाहती है कि मंत्रालय इन संसाधनों का उपयोग करके उपलब्ध खनिज संसाधनों तथा उत्पादित धातुओं का बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करे। इस दिशा में मंत्रालय को धातुओं की रीसाइक्लिंग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि धातुओं की रीसाइक्लिंग संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाती और रीसाइकल उत्पादों के निर्माण में कम ऊर्जा का उपयोग होता है और यह पर्यावरण अनुकूल भी साबित होती है। समिति चाहती है कि मंत्रालय को अलौह धातुओं की रीसाइक्लिंग संबंधी नीति तैयार करनी चाहिए। समिति का यह भी विचार था कि इस प्रकार के कदम से मंत्रालय की आगामी 5 वर्षों में

	खनिजों के उत्पादन को दोगुना करने सहित अपने विजन को पूरा करने में मदद होगी जिसके परिणामस्वरूप आयात निर्भरता में कमी होगी। **(सिफ़ारिश 2)**
निधियों के कम उपयोग को देखते हुए, परियोजनाओं के समय पर निष्पादन की सिफारिश की **गई**	**समिति ने नोट किया है कि 2018-19 के दौरान, खान मंत्रालय के लिए 1669.52 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन को आरई स्तर पर घटा कर 1350.02 करोड़ रूपए कर दिया गया । पुनः, 2019-20 के दौरान, 1675.55 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन को आरई स्तर पर घटा कर 1528.22 करोड़ रुपये कर दिया गया । मंत्रालय ने कहा है कि बीई और आरई स्तर पर आवंटन में भिन्नता बजट प्रक्रिया का एक हिस्सा है और वित्त मंत्रालय द्वारा अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार आवंटन किया जाता है। समिति महसूस करती है कि वार्षिक योजना परिव्यय में ऐसी कटौती से मंत्रालय की एक वर्ष के लिए लक्षित परियोजनाओं / योजनाओं के पूरा होने में कमी आएगी। समिति ने यह भी नोट किया है कि खान मंत्रालय पिछले दो वर्षों के दौरान आरई स्तर पर कम आवंटन का उपयोग नहीं कर सका। 2018-19 में आरई स्तर पर आवंटित 1350.02 करोड़ रुपये में से मंत्रालय 1266.74 करोड़ रुपये (93.83%) का उपयोग कर सका।पुनः, 2019-20 में बीई स्तर पर आवंटित 1675.55 करोड़ रुपये में से, मंत्रालय जनवरी 2020 तक 1185.46 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका।इस कमी का कारण, वर्ष के दौरान एनएमईटी वित्त पोषित गवेषण परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण एनएमईटी बजट का कम उपयोग बताया गया है। समिति को पता चला है कि खान मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय के रूझान के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने अंतिम तिमाही / महीने में 25% और 10% तक व्यय करने के लिए प्रतिबंध लगाया है और इसके परिणाम स्वरुप मंत्रालय 2019-20 के दौरान 1250.00 करोड़ रुपये का उपयोग कर सकेगा। इस संबंध में, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि खान मंत्रालय अपनी परियोजनाओं को**

	समय पर क्रियान्वित करने / निधियों का उपयोग करने के लिए अपनी मशीनरी को सुदृढ़ बनाए और वर्ष के अंत तक चीजों को न छोड़े, ऐसा न हो कि इससे वर्ष के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आए। **(सिफ़ारिश 4)**
<u>वर्ष 2020-21 के लिए बजटीय आवंटन के समय पर उपयोग के लिए जीएसआई द्वारा गंभीर प्रयास अपेक्षित हैं।</u>	**समिति ने यह नोट किया है कि वर्ष 2019-20 के लिए जीएसआई को राजस्व और पूंजी शीर्षों के तहत विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए 1322.93 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था। तथापि, उसे, आरई चरण में 81.34 करोड़ रुपये की कुल कटौती करके 1241.59 करोड़ रुपये तक कर दिया गया। निधि में कटौती को देखते हुए, जीएसआई ने निधियों के इष्टतम उपयोग के साथ विभिन्न मिशनों के फील्ड सत्र 2019-20 के लिए वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियों का विवेकपूर्ण पुनरावंटन करने की बात कही है। समिति ने यह नोट किया है कि जीएसआई ने 10 फरवरी, 2020 तक 1013.22 करोड़ रुपये (81.61%) खर्च कर सका है और 31 मार्च 2020 तक 1214.59 करोड़ रुपये (97.83%) खर्च होने की संभावना है। अंतिम तिमाही / महीने में 25% और 10% तक व्यय करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए, समिति ने 2019-20 के दौरान जीएसआई द्वारा निधियों के इष्टतम उपयोग की आशंका व्यक्त की है। समिति ने आशा की है कि जीएसआई कम से कम अब वर्ष 2020-21 के लिए बजटीय आवंटन के समय पर उपयोग के लिए गंभीर प्रयास करेगी।** **(सिफ़ारिश 5)**
<u>आईबीएम को धन के इष्टतम उपयोग के लिए</u>	**समिति ने नोट किया है कि 2018-19 के दौरान आईबीएम द्वारा निधि का उपयोग 129.08 करोड़ रू. के बीई और 107.09 करोड़**

आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया।	रू. के आरई की तुलना में 98.97 करोड़ रू. था। इसी प्रकार, 2019-20 के दौरान, 124.31 करोड़ रू. के बीई और 109.11 करोड़ रू. के आरई की तुलना में, 31 जनवरी, 2020 तक, आईबीएम 82.74 करोड़ रू. का उपयोग कर सका है। 2019-20 के दौरान, आरई स्तर पर राजस्व प्रावधान के तहत 15.20 करोड़ रू. के कमी के कारण रिक्त/नवीन पदों के न भरे जाने के साथ-साथ एमटीएस परियोजना के लिए भुगतान न होना बताया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आबंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका, समिति यह आश्वासन चाहती है कि आईबीएम, इन मामलों का समाधान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और वर्ष 2020-21 के लिए 128.31 करोड़ रू. के बजटीय आवंटन का इष्टतम उपयोग किया जाएगा। (सिफ़ारिश 8)
उच्चतम स्तर पर झारखंड और राजस्थान की राज्य सरकारों के साथ खनन पट्टों के विस्तार के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) द्वारा निरंतर प्रयासों की सिफारिश की गई।	समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए नोट किया है कि एचसीएल सूरदा खनन पट्टे और खेत्री तथा कोलिहान खनन पट्टों के विस्तार की समस्या का सामना कर रही है। एचसीएल की सुर्दा खनन पट्टे का विस्तार झारखंड सरकार के पास लंबित है और खेत्री तथा कोलिहान खनन पट्टों का नवीकरण राजस्थान सरकार के पास लंबित है और उपर्युक्त दोनों खनन पट्टों की वैधता 31. 3.2020 तक है। समिति ने यह भी नोट किया है कि दोनों राज्य सरकारों के साथ खान मंत्रालय/एचसीएल के लंबे पत्राचार के बावजूद भी अंतिम विस्तार पत्र अभी प्रतीक्षित है। चूंकि, खनन पट्टों को समयबद्ध रूम पर प्रदान करना एचसीएल की विभिन्न गतिविधियों के लाभों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, समिति चाहती है कि झारखंड और राजस्थान राज्य सरकारों से खनन पट्टे का विस्तार प्राप्त करने के लिए खान मंत्रालय एचसीएल निरंतर उच्चतम स्तर पर प्रयासरत रहे । समिति को मामले की प्रगति से भी अवगत कराया जाए। (सिफ़ारिश 13)

नालको द्वारा परियोजनाओं के समय पर निष्पादन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर बल दिया **गया**।	**समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2019-20 के दौरान नालको के 1041.07 करोड़ रूपए के योजना परिव्यय को आरई चरण पर 1055.89 रू. तक बढा कर संशोधित कर दिया गया था। वृद्धि का मुख्य कारण मिधानी के एक संयुक्त उद्यम उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) के संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश था जिसकी बीई चरण पर परिकल्पना नहीं की गई थी। हालांकि समिति यह अनुभव करती है कि नालको वर्ष 2019-20 के दौरान योजना परिव्यय का उपयोग नहीं कर सकेगी। नालको दिसम्बर, 2019 तक 555.61 करोड़ रूपए का उपयोग कर सकी है और मार्च, 2020 तक 939.50 करोड़ रूपए का उपयोग करने की संभावना है। चारदीवारी के निर्माण कार्य जिसका ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, को ध्यान में रखते हुए, निधियों के कम उपयोग का संबंध पूंजीगत व्यय की परिकल्पना से है। इस मामले का समाधान वित्त वर्ष के प्रारंभ में कर लिया जाना था, परंतु हाल ही में समाधान किया जा सका। राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे का विलंब से समाधान करने के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय का कम उपयोग हुआ। समिति ने आशा की है कि परियोजना के समय से निष्पादन करने में सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा कर नालको वर्ष 2020-21 के दौरान आबंटित 1012.21 करोड़ रूपए की निधियों का अधिकतम उपयोग करेगी।** **(** सिफ़ारिश **14)**
मंत्रालय **को** अन्वेषण में उभरती चुनौतियों का जवाब देने के लिए एनएमईटी को स्वायत्त	**समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय के विजन को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ गवेषण एजेंसियों, निजी क्षेत्र, टेपिंग विशेषज्ञों तथा नई जानकारी और आधुनिक प्रौद्योगिकी वाली एजेंसियों की अधिक भागीदारी के माध्यम से देश में गहन खनिज**

निकाय के रूप में काम करने की संभावना तलाशने को कहा **गया**।	**गवेषण द्वारा विशेषकर बेस एवं गहराई में अवस्थित खनिजों के गवेषण में वृद्धि अनिवार्य है। जीएसआई और एमईसीएल द्वारा गवेषण को ऐसे उपायों से सहायता मिलेगी । इसके अलावा राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एनएमईटी) के तहत एकत्रित की गई निधियों का उपयोग इन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी अर्थात देश में गवेषण को बढ़ावा देना। इस संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि एनएमईटी को गवेषण में आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समिति यह चाहती थी कि मंत्रालय द्वारा एनएमईटी को एक स्वायत्त निकाय बनाने तथा हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, के समान पैटर्न पर कार्य करने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए । (** सिफ़ारिश **16)**